न्यायालय सहायक कलेक्ट्रर एव उपखण्ड अधिकारी
लूणी जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी :– गोपाल परिहार आर,ए,एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 55 / 2019

प्रार्थी –

1– श्रीमती हरकू देवी पुत्री किस्तुराराम पत्नि भंवरलाल जाति मेणा निवासी मुर्डिया दिवान्दी पाली।

2– जगाराम पुत्र किस्तुराराम

3– मांगीलाल पुत्र किस्तुराराम निवासीगण नैनो का बास धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

2– भोमाराम पुत्र श्री कसाराम जाति भील, निवासी भीलो का बास, ग्राम भाकरी तहसील लूणी जिला जोधपुर ।

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. विक्रम सिंह नाथावत प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता

2. गंगाराम सरगरा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी लूणी)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

आदेश दिंनाक:– 5/10/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पिता किस्तुराराम की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम रामगढ पटवार हल्का धुन्धाड़ा, भू॰अभि॰ नि॰ क्षेत्र धुन्धाड़ा तहसील लूणी में खेत खसरा नम्बर 311 / 1 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा,

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर लूणी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कैम्प कोर्ट

किस्म बारानी तृतीय व खसरा संख्या 312 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा, किस्म बारानी तृतीय, कुल खसरा संख्या 2 कुल रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि आई है, जो वक्त सेटलमेंट से किस्तुराराम की खातेदारी में दर्ज थी। किस्तुराराम का स्वर्गवास होने पर किस्तुराराम के जाईन्दा पुत्र एवं पुत्री (प्रार्थीगण) ने हल्का पटवारी के समक्ष फौतेदगी नामान्तरकरण भरे जाने का निवेदन करने पर हल्का पटवारी द्वारा किस्तुराराम का फौतेदगी नामान्तरकरण भरा गया तथा श्रीमान् तहसीलदार लूणी द्वारा दिनांक 08.02.2013 को उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। हल्का पटवारी द्वारा भरे गये नामान्तरकरण में स्व. किस्तुराराम के जाईन्दा पुत्र जगाराम, मांगीलाल पिसरान किस्तुराराम का नाम सही दर्ज किया गया, परन्तु किस्तुराराम की जाईन्दा पुत्री हरकूदेवी को किस्तुराराम की पुत्री की बजाय हल्का पटवारी द्वारा सहवन से हरकू देवी पत्नी किस्तुराराम दर्ज कर दिया गया। हल्का पटवारी द्वारा भरे गये नामान्तरकरण को भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रेकर्ड के अनुसार सही होना बताने पर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने में तथा उक्त नामान्तरकरण के आधार पर उक्त खसरान की भूमि खेत खसरा नम्बर 311/1 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 312 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा कुल भूमि 17 बीघा 15 बिस्वा में हरकूदेवी पुत्री किस्तुराराम की बजाय हरकूदेवी पत्नी किस्तुराराम दर्ज कर दिया गया तथा जमाबन्दी में इसी प्रकार से अंकन कर देने के कारण हरकूदेवी पुत्री किस्तुराराम की बजाय हरकूदेवी पत्नी किस्तुराराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में नाम बदस्तूर चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की उक्त भूमि खेत खसरा संख्या 311/1 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा, किस्म बारानी तृतीय एवं खसरा संख्या 312 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, किस्म बारानी तृतीय कुल रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा में से 3 बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये रजिस्ट्री बेचान के बेचान कर दी, जो बेचाननामा उप–पंजीयक लूणी के समक्ष पंजीयन हेतु पेश होने पर उप–पंजीयक लूणी द्वारा अण्डररूल 39 यह नोट अंकित कर

उपखण्ड अधिकारी लूणी

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर लूणी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कैम्प कोर्ट

"हरकूदेवी की वल्दियत पुत्री/पत्नी में रिकर्ड में अन्तर है तथा जाति मेणा (मीणा) एक होना का शपथ पत्र प्रस्तुत के आधार पर" उक्त बेचाननामा दिनांक 21.07.2017 को पंजीयन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरान की भूमि के कुल रकबा में से 3 बीघा निम्न हदूद की भूमि बेचान की गई, उत्तर में इसी खसरे की 15 फुट रास्ते के लिए भूमि, दक्षिण में इसी खसरे की 15 फुट रास्ते के लिए भूमि, पूर्व में इसी खसरे की शेष भूमि व पश्चिम में डामर सड़क रकबा 3 बीघा को 2,51,000/– में बेचान कर मौके पर कब्जा क्रेता को सुपुर्द कर दिया, परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरान की भूमि में प्रार्थीनी संख्या 1 का नाम सही अंकित होने के बावजूद वल्दियत गलत अंकित कर देने के कारण उक्त विक्रय विलेख के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा क्रेता के नाम नामान्तरकरण नही भरा जा सका है तथा आज भी उक्त खसरान की सम्पूर्ण प्राथगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण का नाम हल्का पटवारी द्वारा सही अंकित किया गया है, परन्तु प्रार्थीनी सं. 1 श्रीमती हरकू देवी पुत्री स्व. किस्तुराराम की बजाय हरकूदेवी पत्नी किस्तुराराम गलत रूप से अंकित कर दिया गया है, जबकि प्रार्थीनी सं. 1 हरकूदेवी, किस्तुराराम की पुत्री है। उक्त त्रुटि हल्का पटवारी द्वारा सहवन से कर दिये जाने के कारण वर्तमान में उक्त खसरान की भूमि का राजस्व रेकर्ड हरकूदेवी पत्नी किस्तुराराम दर्ज है, जो दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

05. यह है कि सहवन से राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरान की भूमि में हरकूदेवी पत्नी किस्तुराराम दर्ज कर दिया गया है, जबकि वास्तव में प्रार्थीनी संख्या 1 किस्तुराराम की जाईन्दा पुत्री है तथा राजस्व रेकर्ड में हरकूदेवी पुत्री किस्तुराराम के अलावा किसी प्रकार की दुरूस्ती की जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल पत्नी की बजाय पुत्री अंकित किया जाना न्यायोचित होगा। प्रार्थीनी किस्तुराराम की जाईन्दा पुत्री होने तथा प्रार्थीनी संख्या 1 के पति का नाम भंवरलाल होने तथा वर्तमान में ससुराल का पता प्रार्थना पत्र में अंकित अनुसार है, इस कारण न्यायहित में उपरोक्त खेत खसरान में दर्ज राजस्व रेकर्ड में हरकू देवी पत्नी किस्तुरराम की जायज पुत्री अंकित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर दूणी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कैम्प कोर्ट

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली व उसके प्रस्तुत दसतवेजात का अवलोकर करने से जाहिर होता है कि किस्तुराराम खातेदार का इन्तकाल होने पर उसके वारिसान के नाम हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण ग्राम रामगढ हल्का पटवारी धुन्धाड़ा द्वारा भरा गया है, जिसकी पुस्त पर वारिसान के नाम सही अंकित किये गये है जबकि नामान्तरकरण में किस्तुराराम की पुत्री हरकू देवी की बजाय हरकू देवी पत्नी किस्तुराराम दर्ज कर दिया गया है। हल्का पटवारी से रिपोर्ट तलब की गई जिसमें हरकू देवी पुत्री किस्तुराराम होना जाहिर किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा भरे गये उक्त नामान्तकरण में त्रुटिवश हरकू देवी पुत्री किस्तुराराम की बजाय हरकू देवी पत्नी किस्तुराराम दर्ज कर दिया गया है। इस न्यायालय को धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त हुई त्रुटि को दुरस्त करने का अधिकार प्राप्त होने से उक्त त्रुटि को दुरस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व रेकर्ड खेत खसरा नम्बर 311/1 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय व खसरा नम्बर 312 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, किस्म बारानी तृतीय कुल खसरान 2 कुल रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा कृषि भूमि ग्राम रामगढ पटवार हल्का धुन्धाडा, भू.अभि.नि.क्षे. धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में हरकू देवी पत्नी किस्तुराराम की बजाय हरकू देवी पुत्री किस्तुराराम दर्ज किया जावे, आदेश की पालना हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

05/10/21

(गोपाल परिहार)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर लूणी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कैम्प कोर्ट

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी